सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं . NCST/ATY-1163/UP/2/2023-APCR-RU-IV दिनांक :30 .04.2025

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक,
जिला – कुशीनगर
एसपी कार्यालय
पुलिस लाइन रविंदर नगर
धूस पडरौना कुशीनगर-274304
उत्तर प्रदेश
Email Id: spksn-up@nic.in

विषय: जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ना,मारपीट होने पर भी पुलिस द्वारा अनावेदको की तरफ से कार्यवाही की गई किन्तु पुलिस द्वारा प्रार्थिनी की शिकायत पर कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में श्रीमती - इन्दुदेवी, जिला कुशीनगर का अभ्यावेदन |

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती इन्दुदेवी
पत्नी श्री बीरवली गोंड -
सा बैडगाँव टोला धर्मगार छपरा -
थाना नकुबेरस्था -,
जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश
मोबाईल न:.8601077267

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या-NCST/ATY-1163/UP/2/2023-APCR

श्रीमती इंदुदेवी, पत्नी - श्री बीरवली गोंड, ग्राम - बड़गांव टोला, थाना - कुबेरस्थान, तहसील - पटरौना, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश मो.8601077267 के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	17.04.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

आयोग मे दिनांक 21/04/23 को प्रार्थी इंदु देवी ने पत्र लेख बताया है की उसकी भूमि पर पड़ोसियों की नजर है एक दिन अचानक से दावा बोलकर उसे जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया मारपीट की है जिससे वह अत्यंत आहत है,पुलिस द्वारा अनावेदको की तरफ से कार्यवाही की गई किन्तु प्रार्थिनी की शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर रही है |

2. आयोग द्वारा मामले में **19.05.2023** को जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को नोटिस भेजा गया।

3. आवेदिका श्रीमती इन्दू देवी द्वारा जातिसूचक शब्दों से प्रताड़ना, मारपीट एवं भूमि विवाद से संबंधित शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच से यह सामने आया कि आवेदिका व विपक्षी पक्ष के बीच आराजी नंबर 156 एवं 158 की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर दोनों पक्षों ने पूर्व में सिविल मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन बाद में एक पक्ष ने मुकदमा वापस ले लिया। वर्ष 2019 में शौचालय निर्माण के दौरान दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। इस पर योगेन्द्र गुप्ता की पुत्री पूनम द्वारा FIR संख्या 140/2019 दर्ज कराई गई, जिसमें विवेचना के बाद कुछ धाराएं हटाई गईं और तीन आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसी घटना को लेकर आवेदिका के पति बीरबली द्वारा भी FIR संख्या 151/2019 दर्ज कराई गई, जिसमें जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और मारपीट का आरोप लगाया गया। विवेचना के उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। बाद में वर्ष 2023 में फिर से भूमि विवाद को लेकर विवाद हुआ, जिसमें विपक्षी हरिश्चन्द्र गुप्ता द्वारा FIR संख्या 61/2023 दर्ज कराई गई। विवेचना के उपरांत कुछ आरोपियों को हटाकर तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोनों पक्षों को 10.09.2023 को धारा 151/107/116 CRPC के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. पुलिस रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया है कि सभी घटनाओं में नियमानुसार FIR दर्ज कर विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। भूमि विवाद सिविल प्रकृति का पाया गया है, अतः आवेदिका न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है।

5. दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान जिला पुलिस अधीक्षक के स्थान पर सम्बन्धित CO उपस्थित रहे व् प्रार्थी अनुपस्थित रहे। इस मामले में CO ने बताया की दोनों पक्षों की तरफ से वाद दायर किया जा चुका है जोकि अब सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन है ।

6. मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

1. इस मामले में अब पुलिस से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है तथा न ही प्रार्थी पक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित रहा अत यह मामला आयोग में बंद किया जाता है

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/ATY-1163/UP/2/2023-APCR)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 17.04.2025 at 02:20 PM in the case of श्रीमती इंदुदेवी, जिलाकुशीनगर-, उत्तर प्रदेश। जातिसूचक शब्दों से प्रताड़ना, मारपीट होने पर भी पुलिस द्वारा अनावेदकों की तरफ से कार्यवाही की गई किन्तु पुलिस द्वारा प्रार्थिनी की शिकायत पर कार्यवाई ना करने के संबंध में।

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	**जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश**		
1.	[illegible] CO	9454401420	
2.	राम प्रवेश सिंह (S.I.)	8299569464	
3.			
4.			
III	**अभ्यावेदक**		
1.	Absent		
2.			